


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मै० आर.डी. एन्टप्राईजेज बनाम राज. सरकार मु०नं० 75/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>M</i> 14/10/2021 (बाबूलाल गोयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर</p>	



75/2020

3/19

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय सीकर

अपील संख्या- /2017

मैसर्स आर0डी0 एन्टरप्राइजेज जरिये भागीदार रोहिताश सिंह पुत्र स्व0 श्री मंगल सिंह, जाति यादव निवासी प्लाट नम्बर-38-ए, मियांवाली कॉलोनी, गुडगांव हरियाणा

— अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर राजस्थान .

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम-121 एक्सप्लोसिव रूल्स-2008

बखिलाफ निर्णय पत्रांक राजस्व/22012/173 दिनांकित

07.02.2014 एवम् दिनांक 23.04.2014 पत्रांक राजस्व/

2002/2266 के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन बाबत कृषि

से अकृषि में वाणिज्यिक (एक्सप्लोसिव मैगजीन) प्रयोजनार्थ

संपरिवर्तन को निरस्त किया गया।

मान्यवर,

अपील अपीलार्थी निम्न प्रकार सेवा में पेश है :-

ए- यह कि प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की एक भागीदारी फर्म जो मैसर्स आर.डी. एन्टरप्राइजेज के नाम से एक्सप्लोसिव का व्यापार करना चाहती थी। अपीलार्थी कम्पनी की ओर से एक आवेदन (ए ई 12) अन्तर्गत रूल्स-113 एक्सप्लोसिव रूल्स-2008 के तहत वर्ष-2011 में ग्राम कांथली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के आराजी खसरा नम्बर-253 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर-252/4 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 2

[Handwritten signature]